प्रकरण संख्या 85/2022 मांगीलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चाटियाखेडी में वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 1415/704 स्थित है, जिसका एक मात्र स्वामी वादी है, जिस पर वादी का सदीप से पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है। वादी की अन्य सम्पत्तिों का विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर कुल किता 6 रकबा 0.4100 हैक्टर है। उक्त साबिक आराजी नंबर 1415/704 के हाल आराजी नंबर 885 रकबा 0.1600 हैक्टर पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों से उक्त साबिक आराजी नंबर 1415/704 का कोई हाल आराजी नंबर नहीं बनाया एवं वादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से साबिक आराजी नंबर 1415/704 को हाल के रूप में 885 रकबा 0.1600 दर्शा दिया जो सर्वथा गलत है, क्योंकि हाल आराजी नंबर 885 के साबिक आराजी नंबर 255 व 262 दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1415/704 के स्थान पर साबिक आराजी नंबर 255 व 262 के हाल नंबर 885 गलत रूप से बनाकर दर्ज किये गये, जबकि साबिक आराजी नंबर 225 के हाल आराजीनरंबर 402 व साबिक आराजी नंबर 262 के हाल आराजी नंबर 427 है, जो अपनी जगह राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज होकर मौके पर कायम है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गलत नंबर दर्ज कर दिये गये। अतः विवादित आराजी नंबर 885 रकबा 0.1600 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:11 IST
Reason: Self Attested

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे की कलम संख्या 1, 3 से 6 में वाद वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट है कि साबिक आराजी नंबर 1415/704 वादी/अपीलान्ट के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। अर्थात आराजी नंबर 885 के साबिक आराजी नंबर 1415/704 होना प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा स्वीकार किया गया है तथा हाल आराजी नंबर 885 पर अपीलान्ट/वादी के कब्जे को स्वीकार किया गया है। आदेश 12 नियम 6 जा.दी. के तहत स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का वाद डिक्री योग्य था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, जो उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह माना कि वादी जिस भूमि पर अपना कब्जा बता रहा है वह वर्तमान में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि दर्ज है तथा वादी यह सिद्ध नहीं करा सके कि उनके पिता के नाम दर्ज भूमि बिलानाम सरकार क्यों दर्ज की गयी तथा वादी विवादित भूमि पर अपना कब्जा भी साबित नहीं करा सके हैं। उक्त आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 85/2022 मांगीलाल बनाम सरकार

जवाबदावे में स्वीकार किया है कि साबिक आराजी नंबर 1415/704 रकबा 13 बिस्वा वादी/अपीलान्ट के पिता दयाशंकर पिता राधाकिशन ब्राहमण के नाम दर्ज थी, किन्तु इसके नवीन नंबरों को रेकार्ड में नहीं दर्शाया गया है। साबिक व हाल नक्शे के मिलान करने पर पाया कि साबिक आराजी नंबर 1415/704 की जगह हाल आराजी नंबर 885 अंकित है, जिसका रकबा 0.1600 हैक्टर है तथा यह भूमि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज है। अर्थात प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट/वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिससे वादी के वाद में किये गये कथनों का पूर्णतया खण्डन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 83/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:11 IST
Reason: SelfAttested